



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-21032026-271147
CG-DL-W-21032026-271147

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 21—मार्च 27, 2026 (फाल्गुन 30, 1947)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 21—MARCH 27, 2026 (PHALGUNA 30, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं, ...	91	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं, ...	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	285	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं), ...	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश, ...	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं, ...	275	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	825
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम, ...	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस, ...	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ...	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, ...	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट, ...	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं, ...	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं), ...	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस, ...	1887
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक, ...	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	91	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	285	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	275	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	825
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1887
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 मार्च 2026

संकल्प

सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति)—राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा जारी संकल्प सं. 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 21.03.2023 का अधिक्रमण करते हुए वर्ष 2025-26 से संशोधित “राजभाषा कीर्ति पुरस्कार” योजना जारी की जाती है। इस योजना के अंतर्गत अब निम्नलिखित को पुरस्कृत किया जाएगा:—

- क. मंत्रालय/विभाग
- ख. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
- ग. बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट आदि
- घ. राष्ट्रीयकृत बैंक
- ङ. विभागीय हिंदी पत्रिका
- च. नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

2. राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, बोर्डों/स्वायत्त निकायों/ट्रस्टों, आदि को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार शील्ड के रूप में दिए जाएंगे। पुरस्कारों का निर्णय राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर किया जाएगा। पुरस्कारों के लिए मूल्यांकन सचिव, राजभाषा विभाग के अनुमोदन से गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें विभाग के अधिकारियों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंतर्गत हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएंगे:—

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
मंत्रालय/विभाग	300 से कम कार्मिक 300 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	‘क’ क्षेत्र ‘ख’ क्षेत्र ‘ग’ क्षेत्र	03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 शील्ड (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)
बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट आदि	‘क’ क्षेत्र ‘ख’ क्षेत्र ‘ग’ क्षेत्र	02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय) 02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय)
राष्ट्रीयकृत बैंक	800 से कम कार्मिक 800 से अधिक कार्मिक	03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) 03 पुरस्कार (प्रथम, द्वितीय, तृतीय)

श्रेणी	विवरण	पुरस्कार
विभागीय हिंदी पत्रिका	'क' क्षेत्र	02 (प्रथम व द्वितीय)
	'ख' क्षेत्र	02 (प्रथम व द्वितीय)
	'ग' क्षेत्र	02 (प्रथम व द्वितीय)
नराकास – नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	'क' क्षेत्र	02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय)
	'ख' क्षेत्र	02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय)
	'ग' क्षेत्र	02 शील्ड (प्रथम व द्वितीय)

3. (क) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिए प्रदान की जाने वाली शील्डों के लिए मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बोर्ड/स्वायत्त निकाय/ट्रस्ट/बैंक आदि के कर्मिकों की संख्या कम से कम 30 होने पर ही पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ख) राजभाषा कीर्ति/ क्षेत्रीय पुरस्कार के लिए 60 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले को पुरस्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. यदि किसी मंत्रालय/विभाग को लगातार दो वर्षों तक प्रथम पुरस्कार दिया जाता है तो उसे तीसरे वर्ष पुरस्कार न देते हुए अन्य विभाग को अवसर दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. निधि पाण्डेय
संयुक्त सचिव

शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2026

सं. 9-19/2025- यू.3(ए)—जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर उच्चतर शिक्षा संस्थान को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, जगदू सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, कांदिवली, मुंबई द्वारा यूजीसी पोर्टल पर ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (टीसीईटी), ए ब्लॉक, ठाकुर एजुकेशनल कैंपस, ठाकुर श्यामनारायण मार्ग, ठाकुर गांव, कांदिवली ई, मुंबई, महाराष्ट्र को सामान्य श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 21.02.2025 के अपने पत्र संख्या 29-3/2024 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने यूजीसी (सम-विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार आवेदन की जांच करने के बाद, सर्वसम्मति से कुछ शर्तों के साथ टीसीईटी, मुंबई को सामान्य श्रेणी के तहत सम-विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की सिफारिश की। यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 23.07.2025 को हुई अपनी 592वीं बैठक (मद संख्या 2.17) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

4. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतद्वारा ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (टीसीईटी), ठाकुर गांव, कांदिवली ई, मुंबई, महाराष्ट्र को सामान्य श्रेणी के तहत एक सम-विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा देने की घोषणा करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:—

- प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचनों का सम विश्वविद्यालय द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।
- संस्थान पीजी और रिसर्च के छात्रों और कुल छात्रों का अनुपात 1:5 बनाए रखेगा और इस संबंध में अनुपालन प्रस्तुत करेगा।
- प्रायोजक ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा जैसा कि मुंबई विश्वविद्यालय (टीसीईटी से संबद्ध विश्वविद्यालय) द्वारा अधिदेशित किया गया है।

- iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना सम विश्वविद्यालय संस्थान/या इसके घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।
- v. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।
- vi. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र में प्रस्तुत किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।
- vii. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।
- viii. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र समय-समय पर यथा संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने जैसा भी मामला हो, के लिए सभी अपेक्षित कदम उठाएगा।
- ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र द्वारा उनका अनुपालन किया जाएगा।
- x. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार इस मंत्रालय और यूजीसी को संगम ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक होगा, यह मौजूदा विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने संगम ज्ञापन/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।
- xi. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।
- xii. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।
- xiii. टीसीईटी, मुंबई, महाराष्ट्र को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाना होगा, अपने छात्रों की पहचान करनी होगी और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित और समर्थ ई-गवर्नेंस को अपनाएं।

पूर्णंदु किशोर बनर्जी
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 9th March 2026

RESOLUTION

No. 11034/01/2023OL(Policy)—To encourage the implementation of the Official Language Policy the Department has revised the award scheme named "Rajbhasha Kirti Puraskar" scheme from the year 2025-26 in supersession of earlier resolution No. 11034/01/2023-OL(Policy) dated 21.03.2023. The following will be rewarded under the scheme:—

- (A) Ministries/Departments
- (B) Public Sector Undertakings
- (C) Boards/Autonomous Bodies/trusts etc.
- (D) Nationalised Banks
- (E) Departmental Hindi Magazines
- (F) TOLIC - Town official language implementation committee

2. As a result of implementation of Official Language Policy in the best manner possible the Ministries, Departments, Public Sector Undertakings, Nationalised Banks, Boards/Autonomous bodies/Trusts etc will be honoured with shields for doing outstanding work in promoting the progressive use of Official Language. For each region, the first, second and third prizes will be given as a shield. The decision of award will be based on quarterly progress reports related to the implementation of the official language policy. The evaluation of awards will be done by a committee formed with the approval of the Secretary, Department of Official Language in which non-governmental members will also be included. The following awards will be conferred at the Hindi Day celebrations:—

Category	Description	Prize
Ministries/Departments	Staff less than 300	03 Prize (first, second, third)
	Staff more than 300	03 Prize (first, second, third)
Public Sector Undertakings	'A' Region	03 Shield (first, second, third)
	'B' Region	03 Shield (first, second, third)
	'C' Region	03 Shield (first, second, third)
Boards/Autonomous Bodies/trusts etc.	'A' Region	02 Shield (first and second)
	'B' Region	02 Shield (first and second)
	'C' Region	02 Shield (first and second)
Nationalized Banks	Staff less than 800	03 prize (first, second, third)
	Staff more than 800	03 prize (first, second, third)
In house Hindi Magazine	'A' Region	02 (first and second)
	'B' Region	02 (first and second)
	'C' Region	02 (first and second)
TOLIC -Town Official Language Implementation Committee	'A' Region	02 Shield (first and second)
	'B' Region	02 Shield (first and second)
	'C' Region	02 Shield (first and second)

3. (a) For consideration under “Rajbhasha Kirti Puraskar”, the number of Officials in Ministry/Department/PSU/Autonomous Body/Bank etc. should be minimum 30.
- (b) Those who score marks less than 60% will not be considered for the awards under Rajbhasha Kirti/Regional Awards.

4. If a Ministry/Department gets first prize consecutively for two years then that Ministry/Department will not be awarded the third time, instead some other Ministry/Department will be given an opportunity.

ORDER

IT IS HEREBY ORDERED that a copy of this resolution should be communicated to the Secretariat of all the State Governments, UT Administrations, all Ministries/Departments, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, NITI Aayog, The Comptroller and Auditor General of India, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

It is also ordered that this Resolution be published in the Gazette of India for public information.

Dr. NIDHI PANDEY
Joint Secretary

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 6th March 2026

No. 9-19/2025-U.3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, an online application was submitted by Zagdu Singh Charitable Trust, Kandivali, Mumbai on the UGC Portal for grant of Institution deemed to be University status under general category to Thakur College of Engineering and Technology (TCET), A Block, Thakur Educational Campus, Thakur Shyamnarayan Marg, Thakur Village, Kandivali E, Mumbai, Maharashtra.

3. And whereas, UGC, vide its letter No. 29-3/2024 (CPP-I/DU) dated 21.02.2025, informed that UGC Expert Committee, after examining the application as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023, unanimously recommended for grant of Institution deemed to be University status under general category to TCET, Mumbai, with the certain conditions. The recommendation of UGC Expert Committee was considered and approved by the Commission in its 592nd meeting (Item No. 2.17) held on 23.07.2025.

4. Now, therefore, in exercise of powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of the UGC, hereby declares Thakur College of Engineering and Technology (TCET), Thakur Village, Kandivali E, Mumbai, Maharashtra as an Institution deemed to be University under general category. The said declaration is subject to the following conditions:—

- i. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.
- ii. The Institution shall maintain the ratio of PG & Research students and total students is 1:5 and submit compliance in this regard.
- iii. The sponsoring Trust shall obtain NoC from the State Government of Maharashtra as mandated by the University of Mumbai (affiliating University of TCET).
- iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.
- v. TCET, Mumbai, Maharashtra shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.
- vi. The academic programmes to be offered at TCET, Mumbai, Maharashtra shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.
- vii. TCET, Mumbai, Maharashtra shall align its courses with National Education Policy-2020.
- viii. TCET, Mumbai, Maharashtra shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.
- ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic course / programme, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by TCET, Mumbai, Maharashtra.
- x. TCET, Mumbai, Maharashtra shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to this Ministry and UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

- xi. TCET, Mumbai, Maharashtra shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.
- xii. TCET, Mumbai, Maharashtra shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.
- xiii. TCET, Mumbai, Maharashtra shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

PURNENDU KISHORE BANERJEE
Joint Secretary